



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276828
CG-DL-E-06102026-276828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5159]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5367(अ).— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है;

और उक्त अधिसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट ब्योरे रेखांक सी-1(ई)/III/एफ आर/0626/1039, तारीख 12 जून, 2026, का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, रांची - 834 008, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल कोर-2, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110 092 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकेगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले के पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाई से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन हो जाने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन हो जाने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्र, चार्ट और अन्य दस्तावेज परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, नागपुर क्षेत्र, पोस्ट जरिपटका, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोयला एस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र) को भेज सकेगा।

अनुसूची

डब्लू.सी.एल

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

सावेनर-3 भूमिगत विस्तारित खदान

[रेखांक धारक संख्या: सी-1(ई)/III/एफआर/0626/1039, तारीख 12 जून, 2026]

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी प्रभाग संख्यां	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन				टिप्पणी
					कस्तकारी	सरकारी	वन	कुल (हेक्टर में)	
1	सावंगी (परदेशी)	10	सावनेर	नागपुर	33.37	3.45	4.85	41.67	भाग
2	दुधवडी (रिठी)	12(क)	कलमेश्वर	नागपुर	51.59	13.01	0.00	64.60	भाग
3	सावनेर	34	सावनेर	नागपुर	87.70	6.73	1.72	96.15	भाग
4	हेतिसूर्ला	10	सावनेर	नागपुर	4.01	0.00	0.00	4.01	भाग
कुल					176.67	23.19	6.57	206.43	

कुल क्षेत्र: 206.43 हेक्टर (लगभग) या 510.09 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन:

क-ख:- सीमा रेखा सावंगी (परदेशी) गाँव में रेखा बिंदु 'क' से प्रारंभ होती है, तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर राजमार्ग क्र. 250 मोहपा रोड पर सावनेर गाँव में रेखा बिंदु 'ख' से मिलती है।

- ख-ग:- सीमा रेखा राजमार्ग क्र. 250 मोहपा रोड पर सावनेर गाँव मे रेखा बिंदु 'ख' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर सावनेर व उमरी (रिठी) गाँव की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ग' से मिलती है।
- ग-घ :- सीमा रेखा सावनेर व उमरी रीठ गाँव की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ग' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर सावनेर व उमरी (रिठी) गाँव की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'घ' से मिलती है।
- घ-ङ :- सीमा रेखा सावनेर व उमरी रीठ गवों की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'घ' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर नाला से लगकर सावनेर व उमरी (रिठी) गाँव की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ङ' से मिलती है।
- ङ-च :- सीमा रेखा सावनेर व उमरी (रिठी) गाँव की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ङ' से आरंभ होती है तथा पश्चिम दिशा की ओर सावनेर गाँव में बिंदु 'च' से मिलती है।
- च-छ :- सीमा रेखा सावनेर गाँव में बिंदु 'च' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर सावनेर गाँव में बिंदु 'छ' से मिलती है।
- छ-ज:- सीमा रेखा सावनेर गाँव में बिंदु 'छ' से आरंभ होती है तथा पश्चिम दिशा की ओर दुधबर्डी(रिठी) गाँव में बिंदु 'ज' से मिलती है।
- ज-झ:- सीमा रेखा दुधबर्डी (रिठी)गाँव में बिंदु 'ज' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर दुधबर्डी (रिठी) गाँव में बिंदु 'झ' से मिलती है।
- झ-ञ:- सीमा रेखा दुधबर्डी (रिठी)गाँव में बिंदु 'झ' से आरंभ होती है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर सावंगी(परदेशी) गाँव में बिंदु 'ञ' से मिलती है।
- ञ-ट :- सीमा रेखा सावंगी (परदेशी) गाँव में बिंदु 'ञ' से आरंभ होती है तथा उत्तर दिशा की ओर बिंदु 'ट' से मिलती है।
- ट-क :- सीमा रेखा सावंगी (परदेशी)गाँव में बिंदु 'ट' से आरंभ होती है तथा उत्तर दिशा की ओर बिंदु 'क' से मिलती है।

[फा. सं. 43015/7/2026-एलएआईआर]

डॉ. गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5367(E).— Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number C-I(E)/III/FR/0626/1039, dated the 12th June, 2026, containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur– 440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi – 834 008, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organizations, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, New Delhi-110092 or at the office of the District Collector, District Nagpur (Maharashtra);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in land described in the said Schedule.

Any person interested in the land described in the said Schedule may -

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Office of the Area General Manager, Nagpur Area, Post Jaripatka, District Nagpur (Maharashtra), or General Manager (Land and Revenue), Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE**WCL**

Saoner-III UG Expansion Mine

Nagpur Area

District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number: C-I(E)/III/FR/0626/1039, dated the 12th June, 2026]

Sr. No.	Name of Village	PC No.	Tahsil	District	Description of Land				Remarks
					Tenancy	Government	Forest	Total (in hectare)	
1	Sawangi (Pardeshi)	10	Saoner	Nagpur	33.37	3.45	4.85	41.67	Part
2	Dudhbardi (Rithi)	12(A)	Kalmeshwar	Nagpur	51.59	13.01	0.00	64.60	Part
3	Saoner	34	Saoner	Nagpur	87.70	6.73	1.72	96.15	Part
4	Hetisurla	10	Saoner	Nagpur	4.01	0.00	0.00	4.01	Part
Total					176.67	23.19	6.57	206.43	

Total Area: 206.43 hectares (approximately) or 510.09 acres (approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION:

- A-B: Line starts from point 'A' at sawangi(Pardeshi) village, passes towards south-east direction and meets at point 'B' on SH 250 Mohpa Road at Saoner Village.
- B-C: Line starts from point 'B' at SH 250 Mohpa Road at Saoner Village, passes towards south-east direction and meeting point 'C' at common village boundary of Saoner and Umari (Rithi) Village.
- C-D: Line starts from point 'C' at common village boundary of Saoner and Umari (Rithi) Village, passes towards south-west direction and meets at point 'D' at common village boundary of Saoner and Umari (Rithi) Village.
- D-E: Line starts from point 'D' at common village boundary of Saoner and Umari (Rithi) Village, passes towards south-west direction along nallah and meets point 'E' at common village boundary of Saoner and Umari (Rithi) Village.
- E-F: Line starts from point 'E' common village boundary of Saoner and Umari Rith Village, passes towards west direction and meets point 'F' at Saoner Village
- F-G: Line starts from point 'F' at Saoner village, passes towards south-west direction and meets at point 'G' at Saoner.
- G-H: Line starts from point 'G' at Saoner village, passes towards west direction and meets at point 'H' at Dudhbardi(Rithi).
- H-I: Line starts from point 'H' at Dudhbardi (Rithi) village, passes towards north-west direction and meets at point 'I' at Dudhbardi(Rithi).
- I-J: Line starts from point 'I' at Dudhbardi (Rithi) village, passes towards north-west direction and meets point 'J' at Sawangi (Pardeshi).
- J-K: Line starts from point 'J' at Sawangi (Pardeshi) village, passes towards north direction and meets at point 'K'.
- K-A: Line starts from point 'K' at Sawangi (Pardeshi) village, passes towards north direction and meets at point 'A'.

[F. No. 43015/7/2026-LAIR]

DR. GOPAL SINGH, Jt. Secy.